

11.1.21

पंचायती पैंसा वकील प्रस्ताव उप. व्य. बरत कुरी/ प्रस्तावार्ता का प्रतिक नहीं है कल लक्ष्मीनारायण राम- गंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत विचारक प्रस्ताव लीकाए किये जाऊए वादगत इति ग्राम मौड़क तब नं. 80, 240, 1131, 1132, 1134, 1135, 1141, 1144 का प्रस्तावार्ता के मध्य निम्न प्रकार खाला विचारक किया जाता है।

क्र.सं	नाम प्रस्ताव मय विवरण	खण्ड नं.	फुवा	रिया
(1)	लालचंद, धनराम, राधेश्याम	80	1.33	दूव
	शोभालाम, पुत्र शालिवाह, धीषीबाई पुत्रियां किरानलाल	240	1.47	पठ
	जाति भीगा सा. देव ल्याठ	1132	0.06	पठ
	हिठ वठ	1134	0.03	उठ
		1135	0.35	दठ
		1141	0.17	पठ
		1144	0.21	उठ
	<u>फिला 7</u>	<u>3.62 हे.</u>	<u>-</u>	
(2)	राजेश, राकेश, पुत्र राम- कन्याबाई व/ठ लालचंद	80	1.33	पठ
	जाति भीगा हि. व. हि. ४५	240	1.48	दूव
	मोहनबाई व/ठ रामचंद्र	1132	0.06	दूव
	हि. ४५ जाति भीगा	1134	0.03	दठ

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी


समय:-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विंगल B.F. बहल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---	---

हुकम	मोहनलाल हुस नंदलाल	1135	0.34	30
	जालि भीठा हि. ५५	1141	0.17	२५
	गोविन्दलाल हुस नंदलाल	1144	0.21	२०
	जालि भीठा हि. ५५ सा. रेह			
		<u>मिला 7</u>	<u>3.62</u>	<u>६०</u>

खठ नं. 1131 कबा 0.01 है. हुका लया खठ
 नं. 1134 कबा 0.01 है. पश्चिम रिवा रास्ते
 के रूप में पूर्ववत् सामग्री रहेगा।
 रहम बदमूर रहेगा। डिही भुक्ति है।
 राजस्व रिकार्ड में अमल सामु
 है।

निर्णय आज रिवाडु 11.1.21 के
 में डाला जाववाया जाकर विंगल
 न्यायालय में सुनाया।


 (देशल दाम)
 I.A.S.
 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर

प्राथमिक डिकरी व मुकद्दमे इबतवाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जास्ता दोवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी रामगंज मण्डी
 निम्नजात सीमा (R.A.S.)
 लालचंद बनास राजेश वर्मा
 दावा व बत 53: A-A-Act 1955

सूत्रसं. 149 सन् 2014
 यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिशन कतई रू-ब-रू निम्नजात सीमा (R.A.S.)

मिनजातिर मुद्दाई व श्री 53: माटेखरी एड. मिनजातिर मुद्दाई व श्री धनधाम चाण्ड एड.

मिनजातिर मुद्दायलाह पेश होकर, उम दिया जाता है व डिकरी दो जाती है कि वाड वदीगण लीला किया जाकर यह आदेश दिया जाता है, कि ग्राम मोड़क श्री 2 कि लव नं: 80, 240, 1131, 1132, 1134, 1135, 1141, 1144, किला 8 कला 7-26 ह. का वदीगण एवं डिल: 1 से 6 के मध्य by means of boundary विभाजन किया जाता है डिल: के 7 का आदेश दिया जाता है, कि व राजस्व मण्डल नियम 1955 का 21 के प्रावधान अनुसार उक्त शक्ति का प्रयोग कर मध्य विभाजन हेतु विभाजन प्रस्ताव पेश करे।

कतई मुकद्दमे के मय दूर व थरह फीसदी सालाना आज की तारीख

को अदा करे।

बतला भेरे दस्तखत व मुहर अदागत के आज तारीख 11 माह 02 2020

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी रामगंज मण्डी

मुद्दाई	रक्य	रं	मुद्दायलाह	रक्य	रं
स्टाम्प कालतनामा	1	-	स्टाम्प अर्जी	1	-
महनताना वकील पर			जर्दी गवाहान		
फीस कमिशनर			नायत इजराय हुक्मनामा		
मुदफरिफ					
सीजान	5	-	सीजान	1	-

यस खर्च के फार्म पर कुल खर्च हर दो फरीकन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज कराया जाइये।

उपखण्ड अधिकारी रामगंज मण्डी

आदिम डिकरी व मुकद्दमे इतदार

(ऑर्डर 20, कड 1-7, कडला हीकनी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपलवड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
 व इतदार देशलदान (I.A.S.)
लालचंद वनाम राजरा
 दाता बाबत 53-R7-A-6-1955
 मुकद्दमा नं. 149 मसू. 2014

2014
00050

यसू मुकद्दमा आज बाभ्ते इतफिसाल कतई रु-व-रु- मुसू देशलदान (I.A.S.)
 बहाजरी श्री S.B. मोहोखरी एड. मितजानिब मुद्दई व श्री धनरथाम धाऊड एड.
 मितजानिब मुद्दायलाह पेग होकर, हुकम दिपा जाता है व डिकरी वो जानी है कि

दाहलीलदाल रामगंजमण्डी डाला हुसुला किनाकर हुमलाय लीकाटु किये जातल यह बादेम रिये जाते हैं, कि वादगल इमि ग्राम मोड़क खो नं 80, 240, 1131, 1132, 1134, 1135, 1141, 1144 कितो 8 त्रिबा 7.26 है. ता पसकाले हु मसूय हुला पल अकितानुसाल खाला विकारक किया जाता है।

बीज प मुवालग प बाबत प
 खर्चा इस मुकद्दमे के मसू मुद व सरह प फासदी तालाना आज का तारख से तारीख वसूलयाबी तक प को अदा करे।

वसूल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 01 2021 को जारी की गई।
 मुहर

दस्तखत रामगंजमण्डी अधिकारी
 ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रपया	पं.	मुद्दायलाह	रपया	पं.
स्टाम्प अर्जी वा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		खाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सधूत		महंताना वकील पं.	
महंताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फास कमिशनर	
फास कमिशनर		बाबत इजराय हु वमनामा	
बाबत इजराय हु वमनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक				
मीजान....	-	-	मीजान ...	-	-

नोट:- इस खर्चे के काम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद लयय पसकाल अपना-अपना वहन करे।

श. द. को. 139-2008-1;00,000 फामं

रामगंजमण्डी अधिकारी
 रामगंजमण्डी

कृपं नाम परकार मय विबला

(1) लालचंद धनश्याम, राधेश्याम, शौभालाम
 पुत्र शौभालाई, धीसीलाई कुबियाँ -
 किशनलाल आलि मीणा सा. देह
 हि. वं

खं नं.	रकबा	रिया
80	1.33	पूर्व
240	1.47	प०
1132	0.06	प०
1134	0.03	30
1135	0.35	50
1141	0.17	प०
1144	0.21	30
<u>किला 7</u>	<u>3.62 है.</u>	<u>-</u>

(2) राजेश, राकेश, पुत्र रामकन्यालाई
 पत्नी बालचंद हि. १५ आलि मीणा
 हि. वं. मोहनलाई पत्नी रामचंद्र
 हि. १५ आलि मीणा,

80	01.33	प०
240	1.49	पूर्व
1132	0.06	पूर्व
1134	0.03	50
1135	0.34	30
1141	0.17	पूर्व
1144	0.21	50
<u>किला 7</u>	<u>3.62 है.</u>	<u>-</u>

रहन पूर्ववत् रहेगा। खं नं. 1131 रकबा 0.01 है. चार लमा ख. 0. —
 1134 रकबा 0.01 है. पश्चिम रिया राहों के कप से पूर्ववत् शामिली
 रहेगा। रिकार्ड से अलग हो। नकसे से तस्वीर की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
 रामचंद्रमण्डी